



2026:AHC:25867-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2638 / 2026

रामसेवक

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शक्ति शंकर तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपराध शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

i. न्याय के हित में, थाना गुजैनी, जनपद कानपुर नगर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 246 / 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 352, 351(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(डी), 3(1)(डीएच), 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) से उत्पन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.11.2025 की निष्पक्ष विवेचना करने हेतु प्रतिवादीयों को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए और इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.11.2025 (घटना दिनांक 12.07.2025) के अनुपालन में प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाए।

ii. या ऐसा कोई अन्य और आगे का उपयुक्त आदेश या निर्देश पारित किया जाए जिसे माननीय न्यायालय न्याय के हित में वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

iii. याचिकाकर्ता के पक्ष में इस रिट याचिका का खर्च दिलाया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में एफ.आई.आर. 12.11.2025 को पंजीकृत की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए और निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना की मांग करते हुए एक आवेदन दे सकते हैं। यदि पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के समक्ष ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर/ प्रतिवादी संख्या 2 वर्तमान मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

5 फरवरी, 2026

जफर

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"